भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 282
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियां

282. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायाधीशों के कुल 37 संस्वीकृत पदों में से लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) रिक्तियों को भरने और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद सृजित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 01.01.2019 में स्थापित किया गया था । 31.01.2022 तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से 20 न्यायाधीश पद पर है और शेष 17 न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जा रहे है । वर्तमान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में पुरानी रिक्तियां पिछली तारीख 22.01.2016 की है जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सामान्य एक ही न्यायालय था । नवीमतम रिक्तियां 29.02.2021 को उत्पन्न हुए है ।

(ग) : 2018 से 11 नए न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए है। 12.08.2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कालेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 8 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है जो प्रक्रियाधीन है । शेष 10 रिक्तियों के प्रस्ताव आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय कालेजियम से स्वीकार किए जाने है ।

एक प्रस्ताव आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढाने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार के विचारों के साथ एक पूर्ण प्रस्ताव भेजने के लिए तारीख 03.01.2022 के अनुस्मारक का अनुसरण करते हुए मामला 29.11.2021 को मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के साथ उठाया गया है ।

****

****